

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत.....

मुकाम.....

मुलाराम कौर

बनाम

पदमाराम कौर



किस्म मुकदमा

राजस्व आरेखन

नं.

54

सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुमार सिंह चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थनपत्र/वाद/अपील धारा ..... 111, 128 .....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... 20/2/19 ..... को पेश हो।</p>	
20/02/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल खुदा गए जिसे तामिल पत्रावली भीया गया। अप्रार्थीगण वाकजुद तामिल अनुपस्थित। नौमान चौदामान चौदामान अधिवारी दिग्ग कामों में व्याप्त होने से मित्राल इलतव शेडर आगामी दिनांक 10/04/19 को पेश हो।</p>	
10/04/19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण वाकजुद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय लक्ष्म तीन बार आवाज लगाई गई लेकिन आवाज 5.45 pm पर लग गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एडवोकेट कार्यवाही सम्पन्न में लाई जाली है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडवोकेट बयान हुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने व्यावसायी</p>	

येती के चारों ओर पक्की नेवामवनी करवाना मा  
वैशु है। इसलिए पार्थी का नेवामवनी आवेदन स्वीकार  
हीया जाऊं नेवामवनी आवेदा हीया जावे। अतः  
पार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर पार्थी का नेवाम-  
वनी आवेदन स्वीकार हीया जाऊं नेवामवनी आवेदा  
ही लक्ष्मीलाल वाग्रु को डमिशन निशुक्त हीया  
जाता है व आवेदा दिया जाता है कि आप स्वयं  
या अपने अधिवक्ता हीनी भी भू अभिलेख निरीक्षण  
से पार्थी के खातेदारी येती, की पक्की नेवामवनी  
माडे पर खुदक जाभाकलाऊं करे, पालना रिपोर्ट प्राप्त  
हीने पर शामिल पञ्जावली है, पञ्जावली जोसल कुमार  
ही, डी नम्बर से काम ही, दाखिल दफ्तर ही।  
ही

10.4.2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 187

दिनांक:- 10/4/19

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र आदूराम वगैरा 8  
जाति जाट निवासी लीलासर,  
कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर

1. पदमाराम पुत्र भोजाराम जाति जाट वगैरा 28  
निवासी लीलासर, कोलू  
तहसील बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 54/19

आदेश

मौजा लीलासर पटवार हल्का कोलू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 614 रकबा 55-02 बीघा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने किसी अधिनस्थ भू-अ.निरिक्षक से प्रार्थीगण के खोतेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2019/ 188-192

दिनांक:- 10/4/19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोलू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकार्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मूलाराम पुत्र आदूराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण पदमाराम पुत्र श्री भोजाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु

10.4.19  
उपखण्ड अधिकारी बायतु